रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012024-251546 CG-DL-E-21012024-251546

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 21, 2024/माघ 1, 1945

No. 46]

NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 21, 2024/ MAGHA 1, 1945

## खान मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली 21 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 52(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 2 के, खंड (iii) में, "खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957" शब्दों और कोष्ठकों से पहले, "परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 के तहत विनिर्दिष्ट और अधिसूचित प्रारंभिक मूल्य या उससे अधिक ग्रेड वाले" शब्द अंत:स्थापित किये जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 5 में,—
- (i) पार्श्व शीर्ष में, "धारा 11 की उपधारा (2)" शब्द और अंक के पश्चात, "या धारा 11घ" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किये जाएंगे।

488 GI/2024 (1)

- (ii) आरंभिक भाग में, "धारा 11 की उपधारा (2)" शब्द और अंक के प्रश्चात, "या धारा 11घ" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किये जाएंगे।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 7 में,-
- (i) उप-नियम (1) में, "धारा 11 की उपधारा (2)" शब्द और अंक के प्रश्चात, "या धारा 11घ" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किये जाएंगे:
- (ii) उप-नियम (1क) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "परंतु यह कि अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में, प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।";
- (iii) उप-नियम (1ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- "परंतु यह कि अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में, उपलब्ध भूविज्ञान डेटा के आधार पर किसी ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान करने के लिए जहां संसाधन अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं जैसा कि उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किया गया है, उप-नियम (1क) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किसी ब्लॉक में सहित, केंद्रीय सरकार इसे निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति के समक्ष रखेगी, अर्थातु:—
- (क) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष;
- (ख) उप महानिदेशक, संबंधित राज्य के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की राज्य इकाई- सदस्य;
- (ग) राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में प्रधान सचिव या सचिव (जिस भी नाम से ज्ञात हो) या उनके प्रतिनिधि - सदस्य
- (घ) निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय, भारत सरकार सदस्य सचिव।";
- (iv) उप-नियम (1घ) में, दोनों स्थानो पर आने वाले "राज्य सरकार" शब्दों के प्रश्चात, "या यथास्थित केंद्रीय सरकार," शब्द अंतर्स्थापित किये जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों में, अनुसूची III में,—
- (i) "\_\_\_ सरकार [राज्य सरकार का नाम'']" शब्द और कोष्ठक के प्रश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "या

सेवा में.

निदेशक (तकनीकी),

खान मंत्रालय,

भारत सरकार.

शास्त्री भवन. नई दिल्ली - 110001

[जो लागू न हो उसे काट दें]";

(ii) "राज्य सरकार के विचारार्थ" शब्दों के प्रश्चात "/ केंद्रीय सरकार [जो लागू न हो उसे काट दें]" शब्द, अक्षर और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा सं. एम. VI-1/3/2023-खान VI (भाग3)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 17 अप्रैल, 2015 की संख्या सा.का.िन.304 (अ), द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार दिनांक 14 दिसंबर, 2021 को संख्या सा.का.िन. 856(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

### MINISTRY OF MINES

#### NOTIFICATION

New Delhi the 21st January, 2024

- **G.S.R. 52(E).**—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Amendment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in clause (iii), after the words and brackets "(67 of 1957)", the words "having grade equal to or more than the threshold value as specified and notified under the Atomic Minerals Concession Rules, 2016" shall be inserted.
- 3. In the said rules, in rule 5, —
- (i) in the marginal heading, after the word and figures "section 11", the words, figures and letter "or section 11D" shall be inserted.
- (ii) in the opening portion, after the word and figures "section 11", the words, figures and letter "or section 11D" shall be inserted.
- **4.** In the said rules, in rule 7,—
- (i) in sub-rule (1), after the word and figures "section 11", the word, figures and letter "or section 11D" shall be inserted;
- (ii) in sub-rule (1A), the following proviso shall be inserted, namely:—
  - "Provided that in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act, the proposal shall be submitted to the Central Government.";
- (iii) in sub-rule (1B), the following proviso shall be inserted, namely:—
  - "Provided that in respect of any mineral specified in Part D of the First Schedule to the Act, in order to identify mineral potentiality of a block based on the available geoscience data where resources are yet to be established as referred in clause (a) of sub-rule (1), including in any block proposed by any person under the sub-rule (1A), the Central Government shall place it before a committee consisting of the following members, namely:—
    - (a) Additional Secretary or Joint Secretary in the Ministry of Mines, Government of India Chairman;
    - (b) Deputy Director General of the State Unit of Geological Survey of India of the State concerned Member;
    - (c) Principal Secretary or Secretary in the Mining and Geology Department of State Government (by whatever name called) or his representative Member;
    - (c) Director (Technical), Ministry of Mines, Government of India Member Secretary.";
- (iv) in sub-rule (1D), after the words "State Government", occurring at both the places, the words "or the Central Government, as the case may be" shall be inserted.
- 3. In the said rules, in Schedule III,—
- (i) after the words and brackets "Government of \_\_\_ [mention name of State Government]", the following shall be inserted, namely:—

"OR

To,

The Director (Technical),

Ministry of Mines,

Government of India,

Shastri Bhawan, New Delhi – 110001.

[strike-out whichever is not applicable]";

(ii) after the words "for consideration of the State Government", the words, letter and brackets "/ the Central Government [strike-out whichever is not applicable]" shall be inserted.

[F. No. M.VI-1/3/2023-Mines VI (Part3)] Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

**Note:-** The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.304(E), dated the 17<sup>th</sup> April, 2015 lastly amended, *vide* number G.S.R. 856 (E), dated the 14<sup>th</sup> December, 2021.